



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2299]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2016/भाद्र 30, 1938

No. 2299]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016/BHADRA 30, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

का.आ. 3011(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जो सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसमें समय-समय पर संशोधन किए गए थे, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के 176.800 कि.मी. से प्रारम्भ करके (बाइपास का 0.000 कि.मी.) रासा-3 के 13.030 पर मिलते हुए (बाइपास का 32.800 कि.मी.) आगरा शहर के लिए चार लेन के बाइपास (डिजाइन चैनेज 0.000 कि.मी. से 32.800 कि.मी.) के उपयोग के लिए अधिसूचना का.आ. 2723(अ), तारीख 17.08.2016 द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से शुल्क संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया था।

अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, समय-समय पर यथा-संशोधित के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा का.आ. 2723(अ), तारीख 17.08.2016 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:

अधिसूचना के हिन्दी संस्करण के पृष्ठ संख्या 2 पर पैरा 3 के अंतर्गत सारणी (स्तम्भ-3) में सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में) के लिए उल्लेखित अंक “0.805 कि.मी.” को “8.050 कि.मी.” पढ़ा जाएगा।

[फा सं. भाराराप्रा/सीओ/2016-17/जीसी-आगरा बाइपास संशोधन (0.000-32.800)]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2016

S.O. 3011(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 and amended from time to time, the Central Government, vide notification S.O. 2723(E) dated 17.08.2016 authorized National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, fee for use of the Four lane Bypass to Agra City (having Design Chainage km 0.000 to km 32.800) taking off at km 176.800 of NH-2 (km 0.000 of bypass) and merging at km 13.030 of NH-3 (km 32.800 of the bypass) in the State of Uttar Pradesh.

Now, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008 and amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification published vide S.O. 2723(E), dated 17.08.2016:

In Hindi version of the Notification for the equivalent road length (in km) mentioned in the Table (Column 3) under Para 3 on Page-2, the figure “0.805 km” shall be read as “8.050 km”.

[F. No. NHAI/CO/2016-17/GC-Agra Bypass Amendment (0.000-32.800)]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.